'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.04.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 10 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 अप्रैल, 2016

संसद मार्ग पर भव्य रूप से मनायी गयी डॉ0 अम्बेडकर की जयंती

पार्लियामेंट स्ट्रीट बना 'परिसंघ नगर'

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016.

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद, डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में 14 अप्रैल, 2016 को प्रात 8 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक संसद मार्ग, नई दिल्ली पर बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती का आयोजन भव्य स्तर पर किया गया। परिसंघ संबद्धित सैकड़ों संगठनों ने भी अपने स्टॉल लगाए।

डॉ0 उदित राज जी के अलावा इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष, श्री दुष्यंत कुमार गौतम, सांसद, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, श्री सतीश उपाध्याय उपस्थित होकर जयंती की शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ0 उदित राज जी ने कहा कि किसी भी महापुरुष की जयंती से कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। परिसंघ ने इस जयंती को समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए सुपुर्द किया है। इसके लिए पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। बाबा साहब डॉ अम्बेडकर जातिविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे समान नागरिकता कानून (यूनिफार्म सिविल कोड) को मौलिक अधिकार के रूप में तो नहीं रखा सके लेकिन संविधान के चौथे अध्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व (डारेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी) में रखा। सोच यह थी कि जैसे-जैसे जंनतंत्र शिक्षित होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी मौलिक अधिकार के रूप में शामिल होते जाएंगें। अब समय आ गया है कि इसके बारे में चर्चा की जाए ताकि भविष्य में यह सपना साकार हो सके। बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा ही नहीं थे बल्कि उन्होंने सभी के लिए कुछ न कुछ किया है। बाबा साहब ने हर वर्ग और समाज के लिए नयी विचारधारा प्रदान की है। भारत के संविधान निर्माता होने के साथ साथ जीवन भर दलितों और दबे-कुचलों के लिए संघर्ष किया।

डॉ0 उदित राज जी ने आगे कहा कि आज जो भी थोड़ा-बहुत दलितों की स्थिति में सुधार हुआ है, वह आरक्षण की बदौलत ही हो सका है। जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, वहां आज भी दलितों की उपस्थिति नगण्य है। ज्यादातर सरकारी विभागों का निजीकरण होता जा रहा है तो ऐसे में आरक्षण स्वतः समाप्त होता जा रहा है। परिसंघ ने निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा पूरे देश में बनाया और मैंने पिछले संसद सत्र में निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश किया है। जब तक पूरा दलित समाज एकजुट होकर दबाव नहीं बनाता यह बिल पास होने वाला नहीं है।

इस अवसर पर बोलते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा की बाबा साहब डॉ अम्बेडकर की 125 वीं जयंती सरकार ने मनाने का निर्णय लिया। यह वाकई में सराहनीय कदम है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जिसमे खासकर महिलाओं की वोट में हिस्सेदारी, बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों जैसे अधिकार, तलाक प्रथा जैसी कई नीतियों को लागू कराया।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने जो कुछ भी किया है वह अद्भुत है। उन्होंने केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए किया है। हमारी सरकार इस वर्ष बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी आज उनके निवास स्थान महू गए। पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का सम्मान डॉ. अंबेडकर को दिया है।

इस अवसर पर अजा/जजा परसिंघ से संबद्धित सैकड़ों संगठनों ने अपने-अपने बैनर-पोस्टर व अपने स्टॉल संसद मार्ग पर लगाए। श्री परमेन्द्र के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोक सभा के परिसंघ के साथियों ने स्टाल लगाया। हाल ही में बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा उत्तर पश्चिम लोक सभा क्षेत्र में महिलाओं के शसक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए अचार-पापड़ बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था। इससे प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा निर्मित अचार-पापड़ का स्टॉल रितु चौधरी द्वारा लगाया गया। श्री सुरेश महला के नेतृत्व में घुमंतू जातियों ने अपने स्टाल लगाए।

इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन में दिल्ली इकाई का विशेष सहयोग रहा। जिसमें दिल्ली इकाई के समस्त पदाधिकारी और परिसंघ के राष्ट्रीय स्तर के भी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता हेतु अपना योगदान किया।

✦✦✦

डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. उदित राज

आओ बाबा साहेब की 125वीं जयंती पर संकल्प लें

निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु मैंने संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जो समाज की ताक़त से ही पास होना है। क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण किसी पार्टी या सवर्ण जाति की मांग है या आपकी। यदि आपकी है तो आप साथ दें वरना उम्मीद नहीं करना चाहिए। दर्द आपका है तो दवा भी आपको ही लेना है। यह असंभव नहीं, परन्तु कठिन जरूर है। अगर अधिकार चाहते हो तो परिसंघ को सशक्त बनाना होगा। सदस्यता, रैली, सभा, सम्मेलन आदि पारंपरिक संघर्ष के माध्यमों के अलावा फेसबुक, व्हाट्सअप, एस.एम.एस., इंटरनेट आदि से करोड़ों लोगों को जोड़ना होगा। जिसका निजी बिल होता है, ताक़त भी उसी की होती है। यह आपके लिए है, इसलिए मैदान में आएं। अब तो यह नहीं शिकायत होनी चाहिए कि संसद में आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। संसद में आवाज तो उठ गयी लेकिन अब समाज से उठना है। आओ हम सभी मिलकर बाबा साहेब की 125वीं जयंती पर संकल्प लें कि पूरी ताक़त से इस बिल को पास कराने के लिए संर्ष करेगें।

– डॉ. उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजा/जजा परिसंघ

मुसलिम समाज, कानून और अदालत

ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात-ए- उलेमा-ए-हिंद और दारुल उलूम जैसे संगठनों को जहां लगता है कि शरिया कानून जालिम है और भारत का कानून दयावान, वहां वे भारत का कानून मानते हैं। पर जब सवाल उनके अपने वजूद का, या पुरुष-प्रधान समाज की दीवारें गिरने का आता है, तो वे शरिया की आड़ लेने लगते हैं।

मुसलिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत तीन बार एक साथ बोले गए तलाक की संवैधानिकता की जांच करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित है। शायरा बानो नामक एक महिला की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग सहित शायरा के पूर्व पति को भी इस बारे में नोटिस जारी किया है। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा कि इस प्रक्रिया की समीक्षा जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा महिलाओं को वस्तु की तरह उपयोग किया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह का एकतरफा तलाक, जिसमें इस्लाम द्वारा मनोनीत सुलह का कोई रास्ता नहीं है, अन्यायपूर्ण ही नहीं, बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत वैवाहिक बंधनों की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता। इस पर ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि अन्य समय एक निष्क्रिय संस्था है, ने यह कह दिया कि चूंकि मुसलिम पर्सनल लॉ का जन्म कुरान के सूराओं से हुआ है, न कि भारतीय संविधान के अंतर्गत बनाए कानून से, लिहाजा इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र के बाहर है। एक साथ बोले गए तीन तलाक का मसला इस तकनीकी युग में काफी गंभीर रूप धारण कर रहा है। अब मुसलिम पुरुष फेसबुक, स्काइप जैसे एप्स पर या मोबाइल फोन में एसएमएस भेज कर भी तलाक दे रहे हैं। एक सशर्त अधिकार का मुसलिम पुरुषों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि महिलाओं को अपनी बात कहने का कोई मौका ही नहीं मिलता। एक काजी का लिखा तलाकनामा उनके वैवाहिक जीवन को खत्म कर देता है। इस तरह का कोई रास्ता महिलाओं के लिए नहीं है। अगर उनके वैवाहिक जीवन में कलह है और उन्हें रोजाना पति के हाथों उत्पीड़ित होना पड़ता है तो यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक पति ही उन्हें न छोड़ दे। कुरान-ए-पाक में इस तरह के एकतरफा, पुरुषप्रधान वैवाहिक जीवन का कोई उल्लेख नहीं है। बल्कि कुरान-ए-पाक में तो इस तरह के कई धर्मादेश हैं जिनमें पुरुष को अपनी ब्याहता के साथ न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से पेश आने को कहा गया है। पर पुरुष-प्रधान समाज में इन धर्मानिर्देशों का कोई उल्लेख नहीं करता। महिलाओं के बचाव के धर्मानिर्देशों का अनुसरण सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि मुसलिम पर्सनल लॉ का संहिताकरण (कोडिफिकेशन) नहीं हुआ है। मुसलिम पर्सनल लॉ के संहिताकरण को रोकने के लिए अक्सर यही दलील दी जाती है कि यह कानून कुरान-ए-पाक की सूराओं पर आधारित है, सो इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। पर कुरान की हर सूरा के कई अनुवाद हैं और हर अनुवाद की कई व्याख्या। इसीलिए कुरान में महिलाओं के संरक्षण के अनेक धर्मानिर्देश होने के बावजूद उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। दिवंगत मुसलिम अध्येता असगर अली इंजीनियर के अनुसार, जो मुसलिम पर्सनल लॉ अभी भारत में चलता है वह दरअसल एंग्लो-मोहम्मडन कानून है जिसे सिर्फ शरिया का मुखौटा दे दिया गया है। यह कानून स्वतंत्रता से पहले के अंग्रेज जजों द्वारा दिए गए फैसलों पर आधारित है और कुरान का असली भावार्थ नहीं दर्शाता। असगर अली इंजीनियर ने इस विषय पर काफी अध्ययन किया था और उन्होंने मुसलिम पर्सनल लॉ के संहिताकरण के लिए मुसलिम समाज में सर्वसम्मति बनने की भरसक कोशिश की थी। उन्होंने लिखा था कि ''सब सोचते हैं कि जो मुसलिम पर्सनल लॉ भारत में चल रहा है वह शरिया पर आधारित है। पर ऐसा है नहीं। जो मुसलिम वर्तमान कानून की सिफारिश करते हैं वे असल में शरिया कानून और वर्तमान कानून के बीच का फर्क समझते ही नहीं। यह कानून असल में स्वतंत्रता के पहले एंग्लो-मोहम्मडन कानून के नाम से जाना जाता था जिसे बाद में मुसलिम पर्सनल लॉ का नाम दे दिया गया। जब अंग्रेजों ने मुगलिया सल्तनत से दिल्ली का राज छीन लिया, तब उन्होंने अपनी अदालतें बनाए जिनमें मुसलमानों के विवाह, तलाक और उत्तराधिकार संबंधी मामले भी सुने जाते थे। इन अदालतों में या तो अंग्रेज या फिर गैर-मुसलिम जज होते थे जिन्हें शरिया कानून के बारे में विशेष पता नहीं होता था। जो मुसलिम जज भी होते थे वे भी अंग्रेजी कानून में ही प्रशिक्षित होते थे। ये जज हनाफी अध्येता मिरघयानी की किताब 'हिदायाह' के हैमिलटन द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद का सहारा लेते थे। कभी-कभी ये जज किसी मौलवी से भी परामर्श करके फैसला सुनाते थे। चूंकि ये मामले अंग्रेजी अदालतों में सुने जाते थे, इनका प्रक्रियात्मक कानून अंग्रेजी था और तात्त्विक कानून हिदायाह पर आधारित, इसलिए इसे एंग्लो-मोहम्मडन कानून पुकारा जाने लगा। इन अदालतों के फैसले आने वाले फैसलों के लिए मानक बन गए।'' इस्लाम द्वारा मनोनीत तीन बार बोल तलाक अनायास या लापरवाही से नहीं बोला जा सकता। मुसलिम अध्येता सईदा सैयिदैं हामिद ने लिखा है कि तीन बार एक साथ बोला हुआ तलाक इस्लाम में तलाक-ए-बिदात या गलत और अधार्मिक नवाचार का तलाक बन जाता है। यह इस्लाम की रूह के खिलाफ है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस्लाम के दूसरे खलीफा, हजरत उमर की हुकूमत के दौरान देखा गया कि अरब में अचानक तलाक की संख्या कई गुना बढ़ गई। लोग अपनी बीवियों को अकारण ही तलाक देने लगे। कुरान-ए-पाक के इस अमानवीय अनुवाद से नाराज होकर खलीफा ने आदेश जारी किया कि हर उस शख्श का सर कलम कर दिया जाएगा जो अपनी बीवी को तलाक देगा। बेरुत के अल्लामा समसनी ने यह वाकया अपनी किताब 'फलसफा शरिया-उल-इस्लाम' में लिखा है। एक साथ तीन बार बोला गया तलाक इस्लाम की रूह के खिलाफ है। कुरान में साफ निर्देश है कि तलाक दो महीनों में दो बार बोला जाए और उसके बाद बीवी को या तो फिर से कुबूल कर लिया जाए या उसे दया के साथ छोड़ दिया जाए। इसके अलावा यह भी साफ लिखा है कि बीवी को जो भी दिया जा चुका है वह वापस नहीं लिया जा सकता। इस तरह इस धर्मादेश का मतलब साफ है। तलाक को समय देकर बोलना होगा। यह समय इसलिए निर्धारित किया गया है कि इस दौरान अगर संभव हो तो पति-पत्नी के बीच सुलह करा दी जाए। इस काम में दोनों तरफ के संभाषी भी लगाए जाते है। दूसरे, तलाक बोले जाने के बाद भी समय दिया जाता है जिसमें पति यह विचार कर सकता है कि क्या वह अपनी बीवी को नेकीपूर्वक तीसरा तलाक बोल कर छोड़ देगा या फिर मर्यादापूर्वक उसे फिर से अपना लेगा। तीसरे महीने में, दो तलाक बोले जाने के बाद और तीसरा तलाक बोलने से पहले, उसे यह फैसला लेना होगा। पर इसके साथ ही एक परम धर्मानिर्देश है कि वह अपनी छोड़ी जाने वाली बीवी से उसे दिया गया कोई भी सामान वापस नहीं ले सकता। तलाक और तलाकशुदा औरत के विषय में कुरान-ए-पाक में इस तरह के कई धर्मानिर्देश हैं जो औरतों के अधिकार के प्रति संवेदनशील हैं।' तीन बार एक साथ तलाक बोल कर बीवी को छोड़ देना अवश्य ही इस्लाम की रूह के खिलाफ है। इस्लाम धर्म औरतों को कतई वह दर्जा नहीं देता जो समाज के ठेकेदारों ने उनके लिए चुन रखा है। इस पर जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद का फिर से यह दोहराना कि मुसलिम पर्सनल लॉ की समीक्षा भारत का कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता, बेमतलब लगता है। वह इसलिए कि कोई भी ऐसी मान्यता-प्राप्त संस्था नहीं है जो कुरान के सूराओं का अधिकृत अनुवाद करे। जब एक ही सूरा के कई अर्थ निकाले जाते हैं, तब पुरुष-प्रधान समाज औरतों को उनके अधिकार से वंचित रखने में कामयाब हो जाता है। ऐसे में सरकार और कानून बैठ कर तमाशा तो नहीं देख सकते? पहले, मुसलिम संस्थाएं या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया करती थीं या फिर सरकार पर दबाव डाल कर कानून को अपने पक्ष में बदलवा लिया करती थीं। 1985-86 में शाह बानो मामले में यही हुआ था। जब तलाक के बाद गुजारे की राशि देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन संस्थाओं ने नहीं माना, तो इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर दबाव डाल कर 'मुसलिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट 1986' बनवा डाला, जो कि औरतों के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस मामले में साफ है। खुर्शीद आलम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अदालत ने कड़े शब्दों में कहा था कि किसी भी प्रथा को सिर्फ इसलिए कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि वह किसी धर्म द्वारा स्वीकृत है। किसी भी प्रथा को नैतिकता, स्वास्थ्य और समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद और दारुल उलूम जैसे संगठनों को जहां लगता है कि शरिया कानून जालिम है और भारत का कानून दयावान, वहां वे भारत का कानून मानते हैं। पर जब सवाल उनके अपने वजूद का, या पुरुष-प्रधान समाज की दीवारें गिरने का आता है, तो वे शरिया की आड़ लेने लगते हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि तीन बार एक साथ बोला जाने वाला तलाक पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित कई मुसलिम देशो में वर्जित है। मुसलिम संस्थाएं शरिया को समान तरीके से लागू नहीं करना चाहतीं और न ही वे यह चाहती हैं कि भारत के मुसलमान एक संहिताबद्ध कानून के दायरे में आएं। वे वर्तमान स्थिति से खुश हैं और बदलाव इसलिए नहीं चाहतीं क्योंकि इससे उनका मुसलिम समुदाय पर शिकंजा ढीला पड़ जाएगा।

– सुनील गाडोदिया

www.jansatta.com

✦✦✦

सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों : सुप्रीम कोर्ट

स्कैनर का दिया था हवाला

2015 में मंदिर प्रबंधन ने कहा था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश ऐसे स्कैनर बनने के बाद ही दिया जा सकता है जो उनकी शुद्धता जांच सके।

कहा, ईश्वर सर्वव्याप्त है, कोई भी कर सकता है उनकी पूजा, परंपरा संविधान से ऊपर नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध पर सवाल उठाए हैं। इस मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं को अशुद्ध मानकर प्रवेश की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने इस व्यवस्था पर कहा है कि किस आधार पर महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया है। ईश्वर सर्वव्याप्त है। उनकी कोई भी पूजा कर सकता है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या पंरपरा संविधान से ऊपर है। इससे पहले जनवरी में भी सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एनवी रमण की पीठ ने मंदिर में महिलाओं के बैन पर आपत्ति जताई थी।

सबरीमाला में महिलाओं के बैन का यह मामला 10 साल से कोर्ट में विचारधीन है। यह प्रतिबंध केरल में ज्यादातर मंदिरों का प्रबंधन देखने वाली संस्था त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने लगाया है।

– राजस्थान पत्रिका से साभार

अंबेडकर का अल्पज्ञात स्त्रीवाद

जिन महिलाओं को अंबेडकर ने नेतृत्व दिया वे तो उनसे प्रभावित हुईं ही, अंबेडकर भी उनसे प्रभावित हुए बगैर न रह सके। लैंगिक मुद्दों के प्रति उनकी संवेदनशीलता का मुख्य स्त्रोत यही महिलाएं थी।

डॉ. बी. आर अंबेडकर को कई नामों से जाना जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, पददलितों का मसीहा, महान बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता और असाधारण मेधा वाला अध्येता कहा जाता है। परंतु बहुत कम लोग, महिलाओं के अधिकारों और उनकी बेहतरी के प्रति अंबेडकर की प्रतिबद्धता से वाकिफ हैं।

जो भी मंच उन्हें उपलब्ध हुआ, उसका उपयोग अंबेडकर ने लैंगिक दृष्टि से न्यायपूर्ण कानूनों के निर्माण की पैरवी के लिए किया। सन् 1928 में बंबई विधानपरिषद के सदस्य के रूप में, अंबेडकर ने उस विधेयक को अपना समर्थन दिया, जिसमें फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं को सवैतनिक मातृत्व अवकाश दिए जाने का प्रावधान था। उन्होंने कहा कि चूंकि नियोक्ता महिलाओं के श्रम से लाभ अर्जित करते हैं, इसलिए मातृत्व अवकाश के दौरान महिला कर्मियों को कम से कम आंशिक आर्थिक संबल प्रदान करना उनका कर्तव्य है। बाबा साहब ने कामकाजी महिलाओं द्वारा बच्चों को जन्म देने और उन्हें पालने-पोसने के आर्थिक और उत्पादक आयामों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। यह इस बात का सुबूत है कि वे वर्गीय और लैंगिक, दोनों चेतनाओं से लैस थे। अंबेडकर का मानना था कि मातृत्व अवकाश के दौरान कामकाजी महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन का आंशिक भार सरकार को वहन करना चाहिए, क्योंकि "यह राष्ट्रहित में है कि प्रसव के पूर्व और उसके पश्चात, महिलाओं को आराम मिले।''यह महिलाओं की मां के रूप में भूमिका के सामाजिक महत्व को मान्यता प्रदान करना था।

सन् 1938 में बंबई विधानमंडल के सदस्य बतौर अंबेडकर ने यह सिफारिस की कि महिलाओं को गर्भ-निरोधक उपायों का इस्तेमाल करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उनका तर्क था कि अगर किसी भी कारणवश, कोई महिला गर्भधारण न करना चाहे, तो उसे उसकी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनकी यह मान्यता थी कि गर्भधारण करने या न करने का निर्णय पूरी तरह से महिला पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, आंबेडकर ने गर्भधारण के मामले में, महिलाओं को चुनने की आजादी, पूर्ण नियंत्रण का अधिकार व अंतिम निर्णय लेने का हक देने की पैरवी की।

वाईसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य बतौर 1942 से 1946 के बीच अंबेडकर ने कई ऐसे प्रगतिशील कानूनों को पारित किया, जिनसे महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं मिल सकीं। इनमें आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, विशेष अवकाश, पेंशन व कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के प्रावधान संबंधी कानून शामिल थे। ये प्रावधान कुछ हद तक 'ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस महिला फेडरेशन'की 20 जुलाई 1942 को आयोजित परिषद में पारित किए गए प्रस्तावों पर आधारित थे। इन प्रस्तावों में कामकाजी महिलाओं के लिए ये सभी प्रावधान किए जाने की मांग की गई थी।

हिन्दू कोड बिल

स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बतौर अंबेडकर ने 9 अप्रैल 1948 को संविधान सभा के समक्ष हिन्दू कोड बिल का मसविदा प्रस्तुत किया। इसमें बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिन्दू पुरूषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों को संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव था। यह विधेयक मृतक की विधवा, पुत्री और पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अतिरिक्त, पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाईयों से आधा हिस्सा प्राप्त होता।

हिन्दू कोड बिल दो प्रकार के विवाहों को मान्यता देता था-सांस्कारिक व सिविल। उसमें हिन्दू पुरूषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध और विवाह के विघटन संबंधी प्रावधान भी थे। किसी भी विवाहित व्यक्ति को विवाह की संविदा समाप्त करने के तीन रास्ते उपलब्ध थे-पहला, विवाह को शून्य घोषित करवाना, दूसरा, विवाह को अवैध घोषित करवाना और तीसरा, विवाह का विघटन। विधेयक में यह प्रावधान भी था कि किसी विवाह को अदालत द्वारा अवैध घोषित कर देने के बाद भी उससे उत्पन्न संतानों की वैधता प्रभावित नहीं होगी।

विवाह विच्छेद के लिए सात आधारों का प्रावधान था - परित्याग, धर्मांतरण, रखैल रखना या रखैल बनना, असाध्य मानसिक रोग, असाध्य व संक्रामक कुष्ठ रोग, संक्रामक यौन रोग व क्रूरता।

अंबेडकर द्वारा हिन्दू कोड बिल में जो प्रावधान किए गए उनसे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, वे पिछड़ी जातियों के राजनीतिक नेता थे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। दो, जब उन्होंने हिन्दू कोड बिल तैयार किया तब तक उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वे हिन्दू धर्म को त्यागकर बौद्ध धर्म अपनाएंगे। उसके बाद भी उन्होंने कठोर परिश्रम से ऐसे विधेयक का मसविदा तैयार किया, जिससे हिन्दू महिलाओं को लाभ होता और उनमें से भी ऊँची जातियों/वर्गो की महिलाओं को, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संपत्ति होती। अंबेडकर को केवल किसी विशेष वर्ग या जाति की महिलाओं के हितों की चिंता नहीं थी। वे सभी जातियों व वर्गों की महिलाओं के हितों का संरक्षण चाहते थे।

इस तरह यह साफ है कि अंबेडकर ने उन्हें उपलब्ध हर मंच का इस्तेमाल लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया।

लैंगिक दृष्टिकोण

अंबेडकर का लैंगिक परिप्रेक्ष्य क्या था? वे जाति को किस प्रकार देखते थे? वे इन दोनों के बीच क्या संबंध पाते थे? अपने मौलिक शोधपत्र 'कॉस्ट्स इन इंडिया' (1916) में अंबेडकर ने यह बताया है कि भारतीय संदर्भ में विभिन्न समुदायों में वर्गीय अंतर किस प्रकार जाति में बदल गए। अंबेडकर जाति को एक ऐसा बंद वर्ग बताते हैं जिसका मुख्य लक्षण है जाति के अंदर ही विवाह। उनकी यह मान्यता थी कि सबसे पहले पुरोहित वर्ग ने स्वयं को बंद किया और अन्यों को बाहर कर दिया। फिर अन्य जातियों को भी ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया।

वर्चस्वशाली जाति में यह कैसे सुनिश्चित किया जाता था कि जाति के बाहर विवाह न हों? अंबेडकर के अनुसार इसके लिए पर कड़ी रोक लगाई जाती थी और महिलाओं पर कठोर नजर और नियंत्रण रखा जाता था। अंबेडकर की यह राय थी कि जाति के निर्माण, संरक्षण और पुनरूत्पादन के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता था। उनका कहना था कि नीची जातियों और महिलाओं के दमन के लिए जाति-लैंगिक गठजोड़ जिम्मेदार है और उसे उखाड़ फेकना आवश्यक है। इस प्रकार अंबेडकर जाति के साथ-साथ लैंगिक विभेद का भी उन्मूलन करना चाहते थे।

अंबेडकर की लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता के तीन स्त्रोत थे-

1. 'अछूत' बतौर जातिगत दमन का उनका व्यक्तिगत अनुभव- उन्हें भेदभाव के अनेक अपमानजनक अनुभवों से गुजरना पड़ा। सन् 1927 में महाड़ सत्याग्रह के दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी व्यथा का वर्णन किया, "तुम लोगों ने हम पुरूषों को जन्म दिया है। तुम लोग जानती हो कि कैसे अन्य लोग हमें जानवरों से भी कमतर मानते हैं। कुछ स्थानों पर लोग हमारी छाया भी उन पर नहीं पडने देना चाहते। दूसरे लोगों को अदालतों और कार्यालयों में सम्मानजनक कार्य मिलता है। परंतु तुम्हारे गर्भ से पैदा हुए पुत्रों को इतनी नीची नजरों से देखा जाता है कि हम पुलिस विभाग में चपरासी भी नहीं बन सकते। अगर हममें से कोई तुमसे पूछे कि तुमने हमें जन्म क्यों दिया तो तुम क्या उत्तर दोगी? हम लोगों और कायस्थ व अन्य ऊँची जातियों की महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए संतानों में क्या फर्क है। अंबेडकर के लिए अपनी जाति के निचले दर्जे और पितृसत्तातमक व्यवस्था में महिलाओं की दासता के पारस्परिक संबंध को समझना कठिन नहीं था।

2. सैद्धांतिक समझ - उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता और विद्वता और संवेदनशीलता के चलते यह स्वाभाविक था कि उन्होंने जातिगत पदक्रम के सबसे नीचे के पायदान पर खड़े व्यक्ति की दृष्टि से जाति और लैंगिक मुद्दों के बीच सैद्धांतिक अंतःसंबंध को समझा और उसकी व्याख्या की। अपने इस विश्लेषण को अंबेडकर ने अपने शोधपत्र 'कॉस्टस इन इंडिया' में प्रस्तुत किया जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं।

3. मैदानी स्तर पर काम करने वाले महिला संगठनों का उनका नेतृत्व और उसका उनपर प्रभाव- अंबेडकर के नेतृत्व में चले महिला आंदोलन के तीन चरण थे।

अ. सन् 1920 के दशक के अंत में आंदोलनों में पुरूषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी। इनमें शामिल थे विभिन्न मंदिर प्रवेश आंदोलन जिनमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया।

ब. 1930 के दशक में महिलाओं के स्वायत्त संगठन, जनांदोलनों में भाग लेने का अनुभव हासिल करने के बाद महिलाओं को अपने अलग संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जिससे उन्हें अपनी आवाज उठाने का मंच मिल सके।

स. सन् 1940 के दशक में महिलाओं के राजनीतिक संगठन, इनमें शामिल थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस महिला फेडरेशन जिसके देशभर में विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन हुए जिनमें अंबेडकर के नेतृत्व में कई संकल्प पारित किए गए।

अंबेडकर के भाषणों और उनके विचारों का महिलाओं पर काफी प्रभाव पड़ा। विशेषकर 1927 के महाड़ आंदोलन के दौरान उनके भाषणों से नीची जाति की महिलाओं के जीवन मे अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उन्होंने महिलाओं को यह सलाह दी कि वे ऐसे कपड़े और गहने न पहनें जिनसे अछूत के रूप में उनकी पहचान हो सके, इससे महिलाओं में साहस का संचार हुआ और उन्होंने अलग ढंग से साड़ी बांधना शुरू कर दिया।

जब अंबेडकर ने 1935 में यह घोषणा की कि वे अपना धर्म बदलेंगे तब महिलाओं ने अनेक बैठकें आयोजित कर उन्हें अपना समर्थन दिया। महिलाओं ने उनसे अपील की कि वे उन्हें ऐसे किसी धर्म में न ले जाएं जो उनपर पर्दा प्रथा लाद दे।

सन् 1938 में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि एक महिला एक व्यक्ति भी है और इस नाते उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। उसी वर्ष एक अन्य भाषण में उन्होंने महिलाओं से कम बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा "अगर बच्चे कम होंगे तो महिलाएं उन्हें पालने-पोसने के कठिन श्रम से बच जाएंगी और अपनी ऊर्जा व ताकत का इस्तेमाल अन्य कार्यो के लिए कर सकेंगी।''

जनांदोलनों का नेतृत्व करते हुए भी अंबेडकर जमीनी हकीकत से दूर नहीं हुए। उनके अनुरोध पर उनकी महिला अनुयायियों ने कम खर्चीली शादियां करने का आंदोलन चलाया। महिलाएं इस बात से भी सहमत हुईं कि लड़कियों की शादी कम उम्र में नहीं होनी चाहिए और अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। जिन महिलाओं को अंबेडकर ने नेतृत्व दिया वे तो उनसे प्रभावित हुईं ही, अंबेडकर भी उनसे प्रभावित हुए बगैर न रह सके। लैंगिक मुद्दों के प्रति उनकी संवेदनशीलता का मुख्य स्त्रोत यही महिलाएं थी।

निष्कर्ष

अंबेडकर का हिन्दू समाज का विश्लेषण इस प्रकार है -

1. यह मूलतः जाति व ऊँच-नीच पर आधारित समाज है जिसमें विभिन्न जातियां सम्मान के बढ्ते क्रम और तिरस्कार के घटते क्रम में श्रेणीबद्ध हैं।
2. यह महिलाओं की लैंगिकता, उनकी प्रजनन क्षमता व श्रम के नियंत्रण पर आधारित है।
3. मनु के धर्म के दो स्तंभों वर्णाश्रम धर्म और पतिव्रत धर्म पर यह जातिगत-लैंगिक गठजोड़ खड़ा है। बिना एक से छुटकारा पाए हम दूसरे से छुटकारा नहीं पा सकते।

अंबेडकर की इस समझ और उस पर उनकी भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रिया ने महिलाओं और दलितों को मुक्ति दिलाने के उनके मिशन का पथप्रदर्शन किया।

- ललिता धारा

https://www.forwardpress.in/2016/04/ambedkars-understated-feminism_hindi/

✦✦✦

डॉ. अंबेडकर की बौद्धिक ईमानदारी

आम धारणा यह है कि सच परेशान जरूर करता है लेकिन जीत उसी कि होती है। सरकार के द्वारा बाबा साहब डॉ. अंबेडकर कि 125वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉ. अंबेडकर का विचार ईमानदारी का दूसरा पर्याय है। उन्होने गलत को गलत और सही को सही कहा चाहे उसका अंजाम जो भी हो। नारी मुक्ति की बात हो, जातिविहीन समाज की स्थापना या अंधविश्वास, रंच मात्र समझौता नही किया और बेबाकी से किया और कहा।

बौद्ध धर्म में जाते समय भी मानव कल्याण कि बात की। जहां धर्म की बात हो वहाँ स्वर्ग और नर्क के बारे मे चर्चा न हो दुनिया में अपवाद भी हो सकता है। बौद्धिक ईमानदारी परेशान ही नहीं करती बल्कि मंज़िल तक पहुँचने से भी रोकती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि हर महानता के पीछे एक बड़ा अपराध भी छुपा होता है। कोई महान बने और उसके पीछे चालाकी, यथास्थितवाद, दांव-पेंच और भोली- भाली जनता की भावनाओं का इस्तेमाल न हो यह संभव नही है। ज्यादातर महान लोग बिना जनमानस को नाराज़ कर के आगे बढ़े। कुछ लोगों ने प्रसिद्धियाँ तो बहुत प्राप्त कर ली लेकिन समाज जहां का तहां ही खड़ा रहा।

1950 के दशक में बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने कि बात करना आसान नही था। जो भी यह बात करता उसके विरुद्ध आम जनता का जाना स्वाभाविक था। नेहरू जी से परामर्श लेकर के डॉ. अंबेडकर ने संसद में हिन्दू कोड बिल पेश किया।

विधेयक का मूल मकसद बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों जैसे अधिकार दिये जाए। इस पर देश में तमाम आलोचनाएँ शुरु हुई और इतना दबाव पड़ा कि काँग्रेस का संसद में प्रचंड बहुमत के बावजूद पीछे हटना पड़ा और अंत में विधेयक गिर गया। जिसे लोकप्रिय और महान बनने की चाहत हो वह ऐसा जोखिम क्यों लेगा ?

अभी तक किसी ऐसी जाति से आवाज़ नही निकली कि वह अपनी जाति के ऊपर गर्व न करे। वह जाति चाहे जितने समाज के नीचे पायदान पर खड़ी हो लेकिन जाति के ऊपर गर्व जरूर करती है। बाबा साहब डॉ. अंबेडकर किसी की परवाह किए बिना जाति तोड़ने के लिए संघर्ष करते रहे। 12 दिसम्बर 1935 में जात-पात तोरक मण्डल लाहोर से पत्र मिला, जिसमें बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को अध्यक्ष बनाने का आमंत्रण था। डॉ. अंबेडकर ने सोचा कि यह समाज सुधारक सवर्ण हिन्दुओं का संगठन है जिसका मात्र उद्देश्य हिन्दुओं में जाति प्रथा को सपोर्ट करना है। पहले तो डॉ. अंबेडकर ने अध्यक्षता करने के निमन्त्रण को स्वीकार नही किया परंतु आग्रह करने पर स्वीकृति दे दी। यह सम्मेलन ईस्टर पर होना था लेकिन बाद में मई 1936 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद लाहौर में विरोध शुरु हो गया। इस पर मण्डल के नेता भाई परमानंद एमएलए पूर्व अध्यक्ष हिन्दू महासभा, महात्मा हंसराज, डॉ. गोकुल चंद नारंग, स्थानीय स्वायत्व शासन मंत्री तथा राजा नरेंद्र नाथ एमएनसी आदि सभी नेताओं ने मण्डल के सचिव संतराम को जात-पात तोरक मण्डल से अलग कर दिया।

मण्डल के लोगों ने चाहा कि डॉ. अंबेडकर जो बोलने वाले है, उसको लिखित रूप से पहले ही भेज दें। मण्डल का दबाव डॉ. अंबेडकर पर लगातार बना रहा कि उनका निबंध जाति भेद का बीज़ नाश, लाहौर में छपे लेकिन डॉ. अंबेडकर अड़े रहे और उन्होने मुंबई में ही छपवा दिया। उनके निबंध को देखने के लिए मण्डल के द्वारा हर भगवान को मुंबई भेजा गया। और जब उन्होने पढ़ा तो विचलित हो गए और संशोधन करने के लिए कहा। तमाम तरह के सुझाव दिये गए कि भाषण छोटा कर दें, इतना तीखा न हो लेकिन बाबा साहब डॉ. अंबेडकर अड़े रहे ऐसा न करने पर जात पात तोरक मण्डल ने सम्मेलन ही निरस्त कर दिया। ज्ञात होना चाहिए कि लाहौर उस समय लगभग उत्तर पश्चिम भारत का केंद्र था और मण्डल की तरफ से सुझाव था कि अगर बाबा साहब संशोधन के लिए तैयार हो जाए तो बहुत बड़ा सवर्ण तबका उनको अपना नेतृत्व सौंप देगा। डॉ. अंबेडकर इस प्रलोभन में नही आए और अंत में अपने निबंध जाति भेद के बीजनाश पर अड़े रहे और जो जाकर के बाद में तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ। डॉ.अंबेडकर को इस सच ने परेशान ही नही किया बल्कि आज तक जीत नही हुई अब तो तथाकथित शूद्र जातियाँ भी राजनैतिक लाभ लेने के लिए जाति की पहचान को और मजबूत बनाने के प्रयास में रहती है।

बौद्धिक ईमानदारी बनाए रखना अपने को तमाम झंझवातों और परेशानियों में डालना। इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ती है। यह भी निश्चित नही है कि उसकी परिणति व्यवहार में हो ही। सत्य बदलाव मानता है। मानव स्वभाव बदलाव के विरुद्ध होता है। इतिहास में तमाम ऐसे लोगों ने बौद्धिक ईमानदारी दिखाई लेकिन जरूरी नहीं कि आगे चलकर लोग अपने जीवन में अवतरित करें। कबीर जैसे संत भी हुए जिन्होने खूब खरी-खरी कही लेकिन लोग किताबों और जुबान के स्तर पर मानते रहे लेकिन व्यवहार मे बहुत कम उतारा। जो सच डॉ. अंबेडकर को परेशान करता रहा वह दबे कुचलो को आज भी कर रहा है। कम से कम ये दबे कुचले डॉ. अंबेडकर के सच के साथ होते तो पूरा नही तो आंशिक रूप से इसकी जीत हो गयी होती। जरूरी नहीं कि जो अब तक न हुआ हो तो कल भी न हो। इंतज़ार है उस दिन का जब जाति विहीन समाज की स्थापना होगी और भारत दुनिया के विकसित देशों की कतार में खड़ा होगा।

– डॉ0 उदित राज

दंग रह गये सब, जब धरती ने उगली एक हजार मूर्तियां

यूपी की सियासत में इटावा का अपना रसूख, रुतबा और दबदबा है। लेकिन इसी धरती से निकली हजारों साल पुरानी और दुर्लभ मूर्तियां अब चर्चा का विषय बन गयी है। हालांकि ये सभी मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं। क्योंकि ये मूर्तियां इकदिल थाना क्षेत्र के ईश्वरीपुरा गांव में एक खेत की जुताई के दौरान मिली है। एक साथ हजारों मूर्तियां निकलने से प्रशासन से लेकर पुरातत्व विभाग तक हैरान है। अब यह पता लगाने की कोशिश शुरु हो गयी है कि आखिर इन मूर्तियों का इतिहास क्या है।

उपजिलाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि उनको भी खेत से इतनी बड़ी तादात में खंडित मूर्तियों के निकलने की खबर मिली है। इसको लेकर जिलाधिकारी से चर्चा करके पुरातत्व विभाग को अवगत कराया जा रहा है। ताकि इस बावत कोई अध्ययन किया जा सके कि यहां पर इस तरह की मूर्तियां कैसे निकल रही हैं। उन्होने बताया कि इसका अध्ययन इतिहास के छात्रों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल एसडीएम चकरनगर को इन मूर्तियों को संकलित करने की जिम्मेदारी दी गयी है।

दरअसल ईश्वरीपुरा गांव में खेत के मालिक वृजेश कुमार खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ मूर्तियां खेत में दिखी। जिसके बाद आस पास के गांव वालों ने आना शुरु कर दिया। गांव वालों की मदद से खेत की खुदाई की गयी तो एक के बाद एक जैन धर्म की 1200 साल पुरानी खंडित मूर्तियां निकलती गयी। जिसके बाद गांव वालों ने जैन धर्म के लोगों को बुलाया। उन्होने बताया की ये मूर्तियां सैंकड़ों साल पुरानी हैं और इन्हें किसी राजा ने तोड़कर खेत में छुपा दिया था। जो आज ये मूर्तियां खुदाई में मिली हैं।

अनुमान है कि खेत में अभी और मूर्तियां हो सकती हैं। यह तो और खुदाई से ही पता चल सकेगा। देखने में मूर्तियां सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं जो सफेद पत्थर, काले पत्थर व लाल पत्थर से निर्मित हैं। देखने वालों का कहना है कि जैन धर्म के अलावा भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी हैं। कुछ मूर्तियों पर लिखावट भी है, जिससे अनुमान है कि मूर्तियां हजारों वर्ष पुरानी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग दो साल पहले उसी खेत से दो मूर्तियां निकली थी। जिन्हें पेड़ के पास ही रख दिया गया था। उसके बाद दोबारा इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली हैं। चर्चा है कि खजाना होने के संदेह में कई दिन पूर्व रात में किसी तांत्रिक ने उक्त स्थान पर खुदाई की

थी। क्योंकि लोगों ने पूजा का सामान नारियल आदि पड़ा देखा था।

गौरतलब है कि इसी गांव के नजदीक है आसई गांव। जहां पर एक दशक से खंडित मूर्तियां निकलती रही हैं। सबसे खास बात तो यह है इस गांव के बाशिंदे इन खंडित मूर्तियों की पूजा करके अपने आप को धन्य पाते हैं। यमुना नदी के किनारे बसा गांव आसई देश दुनिया का एक ऐसा गांव माना जा सकता है, जहां के वाशिंदे खंडित मूर्तियों की पूजा में विश्वास करते हैं। इस गांव के लोग किसी मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करते हैं बल्कि हर घर में उनके आराध्य की मूर्तियां पाई जातीं हैं। घरों में प्रतिस्थापित यह मूर्तियां साधारण नहीं हैं। अपितु दसवीं से ग्यारहवीं सदी के मध्य की बताई जातीं हैं। दुर्लभ पत्थरों से बनी यह मूर्तियां देश के पुराने इतिहास एवं सभ्यता की पहचान कराती हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में काशी के बाद धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाने वाला एवं जैन दर्शन में काशी से भी श्रेष्ठ आसई क्षेत्र पूर्व की दस्यु गतिविधियों के बाद से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है।

जैन दर्शन के मुताबिक मुख्यालय से करीब पंद्रह किमी दूर स्थित आसई क्षेत्र में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी ने लगभग दो हजार साल से अधिक समय पहले दीक्षा ग्रहण करने के बाद इसी स्थान पर वर्षात का चातुर्मास व्यतीत किया था। तभी से यह स्थान जैन धर्मावलंबियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया था। इसके अलावा तकरीबन दसवीं शताब्दी में राजा जयचंद्र ने आसई को अपने कन्नौज राज्य की उपनगरी के रूप में विकसित किया था और जैन दर्शन से प्रभावित राजा जयचंद्र ने अपने शासन के दौरान जैन धर्म के तमाम तीर्थकरों की प्रतिमाओं को दुर्लभ बलुआ पत्थर से निर्मित कराई।

औरंगजेब ने जब धार्मिक स्थलों पर हमले किए तो यह क्षेत्र भी उसके हमलों से अछूता नहीं रहा। तमाम धर्मों से जुड़ी दुर्लभ मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जो समय-समय पर इन क्षेत्रों में मिलती रहीं। अफसोस यह है कि आसई क्षेत्र में मिली तकरीबन पांच सौ मूर्तियों में से महज दर्जन भर मूर्तियां ही शेष हैं। आसई गांव के प्रधान रवींद्र दीक्षित का कहना है कि आदि काल से इस तरह की मूर्तियां निकल रही है और श्रद्धाभाव से लोगों ने अपने घरों मे लगा रखी है और पूजा करते है। उनका कहना है कि गांव पर कभी यमुना के बीहड़ों में सक्रिय रहे कुख्यात डाकुओं का प्रभाव देखा जाता रहा है। तभी तो एक समय करीब-करीब पूरा गांव खाली हो गया था। लेकिन जैसे-जैसे पुलिस ने डाकुओं का खात्मा किया तो गांव वाले अपनी जमीनों और घरों की ओर वापस लौट आये।

http://hindieenaduindia-com/State/UttarPradesh/2016/04/01202848/All&were&stunned&when&the&earth&breathed&a&thousand-vpf

एक बेहतर कल के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध

गुणवत्ता है हमारे व्यवसाय की आत्मा

हर दिन लाखों लोगों के जीवन को खुशियों का स्पर्श देते हुए इंडियनऑयल देश के ऊर्जा उद्यम क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है एवं अपने सामाजिक दायित्वों को अच्छी तरह समझता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटि के तहत असंख्य पहल के साथ, स्वास्थ्य सेवा से लेकर स्वच्छता एवं सफ़ाई तक, शिक्षा से पोषण तक, बुनियादी ढ़ांचे के विकास से समुदायिक कल्याण तक, महिला सशक्तिकरण एवं कई अन्य सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इंडियनऑयल राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित है।

इंडियनऑयल
IndianOil

क्यों है डॉ. अंबेडकर भगवान

बाबा साहब डॉ अंबेडकर 20 जुलाई 1942 में वायसराय कार्यकारणी परिषद के सदस्य बने और इस पद पर 23 अगस्त 1946 तक बने रहे। उनके पास श्रम, कोयला, छापाखाना, रियासतों के निकट सैनिक व गैर-सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, प्रचार भर्ती, रॉयल इंडियन नेवी प्रशिक्षण स्कूल, हाउसिंग एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सर्वेयर जनरल डिपार्टमेंट, सिविल पायनियर फोर्स आदि रहे। इस अवधि में जितना कार्य उन्होने मजदूरों और दलितो के लिए किया शायद ही किसी ने किया हो। उस समय की कार्यकारणी परिषद की तुलना आज के कैबिनेट से किया जा सकता है। जहां मजदूरों के कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख होता है बाबा साहब का योगदान किसी से कम नहीं है लेकिन इस पक्ष को कम लोग ही जानते है। दलितों के आरक्षण के बारे में भी कुछ ऐसी ही भ्रांति है की इसको काँग्रेस की सरकार ने दिया जबकि सच्चाई कुछ और है। वायसराय कार्यकारणी परिषद के सदस्य होते हुए उन्होने न केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित कराया बल्कि शिक्षा में भागेदारी और यहाँ तक निजी क्षेत्र में आरक्षण की शुरुआत करी। सरकार की ओर से 125वीं जयंती मनाई जा रही है और इसकी धूम घर – घर और गली – गली तक है ऐसे में कुछ अनछुए पहलुओं को उद्धृत करने से अच्छी कोई श्रद्धा व्यक्त नहीं की जा सकती है।

डॉ. अंबेडकर धनबाद के कोयला खान में 400 फिट नीचे गए और मजदूरों की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद त्रिपक्षीय सम्मेलन नाम का संगठन बना जिसमे मालिक, मजदूर और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए। श्रम सम्मेलनों के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि ट्रेड यूनियन को मान्यता प्राप्त हुई और औरतों को भूमिगत कोयला खानों में काम करना पड़ता था जिस पर पाबंदी लगाई गयी। 31 जनवरी 1944 में मजदूर कल्याणकारी कोष बना। विभिन्न प्रान्तों में काम कर रहे लगभग 10 लाख मजदूरों और कर्मचारियों के लिए हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वच्छ पानी, आवास, स्नानग्रह और मनोरंजन की सुविधाएं पैदा की गयी। औरतों को प्रसूति संबंधी छुट्टी वेतन सहित देने का कानून पारित किया और उस समय लगभग 16 हज़ार औरतें कार्यरत थी। उद्योगपति मजदूरों से दिन भर मनमाने ढंग से काम करवाते थे। काम करने का सप्ताह में 54 घंटे के बजाय 48 घंटे कराया और दिन में 10 के बजाय 9 घंटे किया गया। कर्मचारियों को बीमा की सुविधा का अधिकार उसी समय मिला। मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम आयुक्त के पद का सृजन किया गया और पुरुष एवं स्त्री के वेतन में समानता।

सन् 1932 में पूना पैक्ट के द्वारा दबे-कुचलों का अधिकार न मिला होता तो न जाने आज किस तरह की ज़िंदगी जी रहे होते। यह कैसी विडम्बना है कि अपना मल-मूत्र साफ करने से अपवित्र न हो और दलित के छूने से हो जाना और अभी भी कुछ हद तक यह कुरीति ज़िंदा है। 29 अक्टूबर 1942 को डॉ. अंबेडकर लॉर्ड लिनलिथगो को पत्र लिखा जिसमे मांग किया की दलितों को केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय कार्यपालिका एवं लोकसेवा, संघ लोकसेवा आयोग में प्रतिनिधित्व मिले। अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए और खाली पदों में से साढ़े 13 प्रतिशत आरक्षित किया जाए। आयु सीमा बढ़ाने और परीक्षा शुल्क कम करने की भी बात उठाई। एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जो आरक्षण को लागू करने की देख-रेख करे।

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के इस ज्ञापन पर 20 नवम्बर 1943 में सर जेरेमी रैसमैन की अध्यक्षता में बैठक हुई और कुछ फैसले लिए। 5 साल के लिए 3 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान, जो उच्च शिक्षा के लिए सहायता देना और छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति भारत में ही नही बल्कि विदेश में भी पढ़ने के लिए भी दी गयी। 15 जून 1946 में सरकार ने गज़ट प्रकाशित किया जिसने केंद्रीय सेवा के प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जाति को साढ़े 8 प्रतिशत का आरक्षण बढ़ाकर साढ़े 12 प्रतिशत कर दिया गया। जहां पर भर्ती केंद्र स्तर पर हो जैसे रेलडाक तार सीमा शुल्क, आयकर वहाँ पर साढ़े 12 प्रतिशत का आरक्षण हो और क्षेत्रीय स्तर पर इनकी जनसंख्या के अनुसार लोकनिर्माण विभाग में सरकारी ठेके में भी इनकी भागेदारी हो।

कुछ लोग अपने जीवन में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और कुछ के महान कार्य उनके जीवन में तो नही दिखते लेकिन जैसे -जैसे उसका असर होता है उनके साथ न्याय होने लगता है। इतिहास इंसाफ करता है लेकिन जरूरी नही है कि वह हमेशा हो। यह भी सत्य है कि कुछ लोग महान तो बन गए लेकिन उनके विचार इतने उपयोगी नहीं रहे, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हों। जो गैर दलित है वह सोचते होंगे कि दलित और पिछड़े डॉ. अंबेडकर को भगवान क्यों मानते है उपरोक्त तथ्य जानकर वह समझ जाएंगे। अरुण शौरी ने एक किताब भी लिख दी कि दलित झूठे भगवान की पूजा करते हैं। अगर इन तथ्यों को इन्होने पढ़ा होता और दलितों की नारकीय ज़िंदगी को महसूस किया होता तो शायद ऐसी धृष्टता न करते। हमारे यहाँ तमाम ऐसे महापुरुष हुए जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला, लेकिन जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है उनका योगदान प्रकाश में आने लगा है। बाबा साहब डॉ. अंबेडकर जैसे और भी महापुरुष रहे जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। जैसे-जैसे सच्चाई सामने आ रही है इतिहास बदलता जा रहा है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पहले कितने लोग जानते थे लेकिन आज उन्हीं की सोच और विचारधारा के कारण भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र सरकार में है। कितने दिनो बाद जाकर इनके साथ न्याय हों सका।

– डॉ. उदित राज

नागपुर में संयुक्त रूप से मनायी गयी बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर व महात्मा फुले की जयंती

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, शाखा नागपुर शहर/जिला के तत्वधान में महात्मा फुले व बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती नागपुर स्थित रवि भवन समागृह में डॉ. उदित राज सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर डॉ. उदित राज ने कहा कि महात्मा फुले व बाबा साहेब के कारण ही दलित व बहुजन प्रगति कर पाए। इसी ध्येय को लेकर प्रमोद तभाने परिसंघ के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्कार के अवसर पर विशेष अतिथि सिद्धार्थ भोजने – महाराष्ट्र परिसंघ अध्यक्ष, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रो. रमेश भाटे व दीपक तभाने विशेष रूप से उपस्थित थे।

परिसंघ की ओर से बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि सम्मान कार्यक्रम समिति, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष – प्रमोद तभाने ने इनका सत्कार किया। दिल्ली स्थित बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर निर्वाण स्थान को राजघाट जैसा दर्जा देने की मांग के लिए प्रमोद तभाने पिछले आठ वर्षों तक संघर्ष में शामिल रहे और आंदोलन को सफलता दिलाने में उनके बहुमूल्य योगदान को याद करते हुए डॉ. उदित राज ने उनका सत्कार किया। बाबा साहेब के विचारों को सम्पूर्ण

विश्व में प्रसारित करने हेतू उनकी जयंती कार्यक्रम बड़े पैमानों पर आयोजित करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों ने अपने मूलभूत अधिकार के लिए नियमित संघर्षशील रहकर आंदोलनरत! रहना होगा। इसकी प्राप्ति के लिए संगठित प्रयास बेहद जरूरी है। कार्यकर्त्ताओं के एक जुट रहने पर ही नेताओं की एकता सम्भव होगी। निजी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व व आरक्षण के लिये भव्य व बड़े आंदोलन की जरूरत है। ऐसी अपील डॉ. उदित राज जी ने सभागृह में उपस्थितगणों से की।

कार्यक्रम का संचालन हरिष नक्के, प्रस्तावना श्रीमती सुनंदा खैरकर तथा आभार प्रदर्शन प्रदीप मेंढे ने किया।

इस अवसर पर सर्वश्री राहुल झामरे, डॉ. सिरसाव, विजय गोण्डे, प्रमोद गणवीर, सुभाष बोरकर, घनशाम जगम, बी. डी. रामटेके, दीपक साल्वे, शीला तुमडाम, वसंला गायकवाड, अशोक घोगडे, निवेदिता तभाने, जनार्धन बावनगडे, रमेश मून, बी. एम. मेश्राम, मिलिंद लोखंडे, जगन घोगडे, माधुरी रंगारी, मंजुषा गोटेकर, जीवन रामटेके, तुलसीराम गेवाडे, रंजन यावरे, एम. आर. रावरे, सी. डबलु वैब, अर्चना भोयर, कुरेशी, प्रभूलाल परतेती, अरूण घोंगडे इत्यादि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

अंत में परिसंघ के कोषाध्यक्ष सुभाष बोरकर द्वारा प्रकाशित बाबा साहेब की 125वीं जयंती के अवसर पर परिसंघ का शुभेच्छा कार्ड का विमोचन डॉ. उदित राज जी के शुभ हाथों से किया गया।

– दीपक तभाने

परिसंघ की सदस्यता का विवरण भेजें

बार-बार आग्रह करने के बाद भी अभी तक अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की जो सदस्यता की रसीदें जारी की गयी थी, वापिस नहीं आ सकी हैं। परिसंघ के प्रदेश, जिला, ब्लाक इकाइयों के पदाधिकारियों व शुभचिंतकों, जिनके पास सदस्यता की रसीदें हैं, वे नाम, मोबाइल नं., जिला एवं प्रदेश लिखकर नीचे लिखे प्रारूप में अतिशीघ्र parisangh1997@gmail.com पर ईमेल करें।

सदस्य का नाम	मोबाइल नं.	जिला	प्रदेश

– डॉ0 उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

The Challenge to Understand Ambedkar

It is not necessary that by talking and discussing about someone we also gain an understanding about him. Dr. B R Ambedkar's 125th birth anniversary is being celebrated this year, not just by Dalits but also by the Government of India. The people of the country must try to understand Ambedkar, especially in context of his contribution towards women and Dalits. A lot cannot be expected from women, since their awareness levels are comparatively low, but for Dalits it is an imperative to understand Ambedkar since he did so much for them. In April 1956, Dr. Ambedkar said at Agra that the educated have betrayed him; they are only bothered about their own livelihoods. His expectations were most from the educated, especially from the Government employees; he hoped that they would give direction and leadership to society. They talk the most, but do very little – they should introspect and learn that they are the biggest obstacles to implement Dr. Ambedkar's thoughts.

In terms of security, respect, dignity and comfort, a Government job is the most attractive in India. Most of the educated SCs and STs are in Government jobs. Till 1990, private sector jobs were limited; after liberalization and globalization, many opportunities have also started unfolding in the private sector. Dr. Ambedkar's ultimate dream was creation of a casteless society. At that time, Dalits were divided into hundreds of castes; that is the same even today. If they would have followed his dream, his dream would have been partly realized by now and exploitation by dominant castes would have been checked. It is natural that normally no one gives up their comforts and privileges; then why should it be expected by Dalits that the so called upper castes should abjure their status? They should expect from others only when they imbibe Ambedkarism first. In Indian society today, Dalits are at the lowest strata. By annihilating the caste system amongst themselves, they would not lose anything except bondage and slavery. Such beginning from any corner of society will not only force exploiters to mend their ways but also strengthen national unity and prosperity.

It is universally known and accepted that Dr. Ambedkar had stressed the most about unity and education. Dalit educated talk the most, but they themselves are the least organized. It is the biggest paradox that in North India, some Dalits, at some point of time, has shown unity and that has achieved some results, despite the fact that they are comparatively less educated and their awareness levels are also low. It is not difficult to understand who failed Dr. Ambedkar's. The ambition for recognition has risen so much that sometimes 2 Dalit activists form more than 2 organizations. Since upper castes deny them recognition, they compensate by fighting amongst themselves. By virtue of little enhanced position, hunger for respect and recognition gets satiated, but is soon converted to arrogance. At the same time, they are not free from mental slavery and while interacting with people from dominant castes, their behavior changes very drastically and become servile.

Educate, organize and agitate are the golden thumb rule of Dr. Ambedkar and yet hardly any educated Dalit does not repeat it. The term agitation has many a wider connotation, but that is hardly understood. These people have the least tolerance; their courage is low, so they run away from the strong and preach to the weak. They know who has given reservation, but why, perhaps, is least known. As someone gets a Government job, their happiness knows no bounds; with the pace of time, their personal ambition and needs rise and not only do they forget the past, but also their responsibilities. Dr. Ambedkar sent them into Government as representatives to pay back to society in terms of money, mind and time, but most of them have betrayed him. By adhering to the ideology of Dr. Ambedkar, unity amongst them would have been strengthened and that would have liberated them from bondage.

Dalits feel that other castes should understand Dr. Ambedkar and act accordingly, as if it is not for them to follow. Knowing the detailed account of his struggle and ideology is one thing, but to understand is another. The biggest challenge before SCs and STs is to understand Dr. Ambedkar. Our Prime Minister's speech at the inauguration of the memorial at 26, Alipur Road where Dr. Ambedkar breathed his last, speeding up the work on the Ambedkar International Center, buying the house where he stayed in London and turning it into a memorial – all these have been publicized to such an extent as has never been done before. Due to all this, the challenges for SCs and STs have increased a lot. It is now very important that now the educated amongst Dalits not only read about Dr. Ambedkar, and also understand him and act.

Dr. Udit Raj

✦✦✦

Dr. Ambedkar's intellectual honesty

There is a general perception that truth often gets tormented but never gets defeated and at the end it always wins. In the case of Dr. B R Ambedkar, this proposition is yet to be testified; the Government is celebrating his125th birth anniversary. Besides everything, he was intellectually honest and always vocal about right and wrong, despite its repercussions; he had always been upfront about fighting for women's liberation, annihilation of caste and breaking superstitions. Even while converting to Buddhism, he spoke only about human welfare and engaging in the affairs of religion at such a large scale, it is next to impossible to remain committed towards the cause of humanity and not to plunge into epistemological and metaphysical debates. Intellectual honesty, many times, is a barrier in reaching the destination. Therefore, there is a famous saying that behind every great fortune, there is a great crime. I think Honor de Balzac was not out of place in saying.

Dr. Ambedkar did not care about the establishment when he had a tryst with the truth.

Standing for right to equal property of daughters was not at all easy in the 50s. It was quite obvious that the masses would be against whoever spoke about equal rights in property. Dr. Ambedkar introduced the Hindu Code Bill in Parliament after consulting Pandit Nehru. The Hindu Code Bill embodied the provision of equal share in ancestral property for sons and daughters. There was lots of criticism in the country regarding this Bill, due to which the Congress party had to step back from this move despite having a huge majority in Parliament and the Bill was defeated.

Similarly, when Sheikh Abdullah and other like minded people approached Nehru Ji to include a special provision for Jammu & Kashmir in the Constitution, he agreed, but suggested that he should meet Dr. B R Ambedkar for agreement. When Sheikh Abdullah met Dr. Ambedkar, he bluntly replied that if Jammu & Kashmir as a border state should get special provisions, then even Bihar, Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Bengal and provinces of the North East which are also border-states should also get similar special provisions. Article 370 was still framed, but not by Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar wrote most of the provisions of the Constitution, but he was not allowed to write Article 370 nor did he support it.

Dr. Ambedkar stood for annihilation of caste; are his followers doing so? Rather, there is activism for further consolidation of caste identity. By creating caste identities, it is much easier to have a personal gain and bargaining power with institutions and the Government. Somehow, the truth that he wanted to prevail has not found its place.

On 12th December 1935, Babasaheb received a letter from the Jaat todak mandal in Lahore inviting him to be their President. He thought that it was an association of upper caste Hindus whose only idea was to only reform the caste system. At first, Dr. Ambedkar refused to accept the invitation but later on, when persuaded, he gave his consent. The association was supposed to meet during Easter but it was postponed till May 1936. After that, there was huge resentment in Lahore for inviting Dr. Ambedkar and Bhai Parmanand, ex- president Hindu Mahasabha, Mahatma Hansraj, Ministers of local property ownership Dr. Gokulchand Narang and Raja Rajendranath MNC, sidelined the Mandal secretary Santram from the organization. The leaders of the Mandal wanted to get a written draft of Dr. Ambedkar's speech in advance; there was constant pressure on Dr. Ambedkar to get his essay titled "Annihilation of Caste" vetted in Lahore before the conference, but he remained firm. To see his essay Har Bhagwan of Mandal was sent to Mumbai to know the contents; after reading it, he became restless and suggested to Dr. Ambedkar to change the essay and make it brief but Dr. Ambedkar didn't bend; as a result, the conference was called off.

One should be aware that during that period, Lahore was the centre of North West India, and if Dr. Ambedkar agreed to the suggestions of the Mandal, a large number of upper caste Hindus would have accepted his leadership. He did not fall prey to this temptation and later on, his essay "Annihilation of caste" was published in Mumbai and also translated into many languages.

His truth has not become empirical till date; as a matter of fact, these days, even the so called schedule castes try to strengthen the caste system for their political gains. Maintaining intellectual honesty is putting oneself at risk and a high price might have to be paid for it. There is no certainty that Dr. Ambedkar's truth is being incorporated, practiced or even debated. Normally people are against change, and not necessarily truth always prevails. There have been some statesmen like Kabir who spoke the truth but they remain confined to books and talks; very few are practically followed.

This truth kept haunting Dr. Ambedkar and is still not understood and imbibed by the people, not even the downtrodden. Had the downtrodden stood by his path of truth, they would have at least achieved partial success, if not a complete victory. It is not at all necessary that what has not been done till now cannot be done tomorrow. The day is eagerly awaited when a casteless society can be established and India joins the ranks of developed countries. - Dr. Udit Raj

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 10 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 April, 2016

An African-American Explains Why India Is The Most Racist Country in the World

In 2013, the Washington Post released a map based on a study by two Swedish economists who colour coded the map of the earth based on racist attitudes.

The study was simple: they asked people whether they would have a problem with a neighbour of another race. Only two nations – India at 43.5% and Jordan at 51.4% – scored over 40% in racial intolerance.

The question has since become increasingly relevant. As we have written about earlier, Bollywood actors have launched movements that aimed at extolling the beauty of dark skin, politicians have repeatedly made the point. There have been horrific race-motivated attacks on Africans just within the last year even!

Recently, the question was posed on Quora as to which was the most racist country in the world, and Dave Adali, an American, had a poignant and saddening answer to it.

"I am an African-American in the IT field and I have thus far had the good fortune to live and travel extensively throughout Western and parts of Eastern Europe and many countries in Asia. I have lived or traveled in the UK and most of the EU countries as well as Taiwan, Korea, the Philippines, Thailand, Japan, Indonesia, Malaysia and several other Asian countries including India.

Of all the countries I have been to, India ranks way up there among the most 'racist', IMHO. Indians aren't so much 'racist' as they are intolerant. Indians discriminate against fellow citizens to a degree that I have NEVER encountered in ANY other country. Without

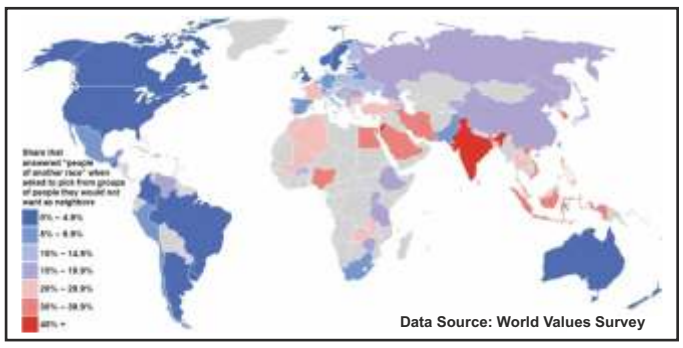

a doubt, Indians are the the most color obsessed people I have ever encountered anywhere in the world. No doubt because of all that saturation advertisements for 'Fair and Lovely', 'Fair and Handsome' and all manners of skin-whitening creams, lotions, soaps etc. Even if you are 100% Indian, your fellow Indians might still discriminate against you on the basis of the color of your skin, which region of India you come from, what language you speak, your religion, your caste etc. etc.

If you are of obvious African ancestry, including African-American, you can find life really, really tough in India if you are going to be in India for a while. Indians can be such unabashed, in your face racists. In the interest of fairness, I should point out that often times, lighter-skinned Indians despise darker-skinned Indians every bit as much as much as they despise us people of African ancestry. Apart from that, there is also considerable antipathy between North Indians and South Indians.

Indians outside India endlessly complain about the intolerance and racism they have to put up with in places like Europe, the US, Canada, Australia, the Middle East and even Africa. These very same Indians conveniently choose to ignore the fact that Indians themselves can be such pathological bigots against their fellow Indians, other Asians and especially people of African ancestry. In Amritsar, one of my best friends was Gyan, a Nepali whom I initially mistook for a Chinese. Indians disdainfully call him "Chinki" or "Bahadur", which Gyan

hated. As a matter of fact, Indian citizens from India's North-Eastern states, who often have Chinese facial features are routinely referred to, usually disparagingly as 'Chinkis'.

I have a very good friend 'Terrence', also an African-American in the IT field. His wife 'Rekha' is the the assertive and independent-minded daughter of Gujarati Jains who arrived in the US when 'Rekha' was 7 years old. She and her husband met in graduate school and have been married more than ten years now. They have 3 kids, all of them dark complexion and curly hair, physical traits which her relatives back in Gujarat hated. When 'Rekha' took her kids to Gujarat for the first time, her Gujarati relatives took to calling them, usually disparagingly, as 'Africans' and 'Blackies'. 'Rekha' finally had enough, especially since the kids were now old enough to understand what was being said about. them So 'Rekha' gave the offending relatives the following ultimatum,' 'Treat my kids right or get out and stay out of my life'.

India is a great country to visit briefly, because the country itself is endlessly fascinating. An American journalist once described India as "a land of jarring incongruities". That is what makes India such a worthwhile tourist destination.

Some African-Americans have sought my advice about going to Indian for hands-on IT training. My stock advice to them is be prepared to deal with unabashed in-your-bigotry because Indians hate dark-skinned people, including fellow-Indians. You can expect to have things even worse if you are somebody of African ancestry. As for housing, be prepared to live long term in a hotel. Available housing can be hard to get even if you are an Indian. Because Indian landlords routinely discriminate even against fellow Indians who happen to be from the 'wrong' part of India, speak the 'wrong' language, belong to the 'wrong' religion or caste etc. As somebody of African ancestry, you face a double whammy in a culture that hates dark skin. If you are Caucasian or White, you should be alright, since the people automatically show respect for white-skinned people. Heck, I have seen Indians discriminating against fellow Indians in favor of White foreigners.

This is not an anti-Indian rant, just my experiences and observations.

My apologies in advance for any toes I might step upon."

http://bodahub.com/american-says-india-most-racist/

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya